

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 26.01.2026

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़िता को थाना दुधारा पुलिस साइबर सेल द्वारा 19500 की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर सेल थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़िता को 19500 हजार रुपये की धनराशि वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण

पीड़िता के बैंक खाते से अज्ञात साइबर ठगों द्वारा Aadhaar Enabled Payment System (AePS) का दुरुपयोग कर दिनांक 22.08.2025 से 10.12.2025 के मध्य किस्तों में कुल ₹ 39,200.00 की धोखाधड़ी की गई थी। यह धनराशि विभिन्न राज्यों के CHC संचालन केंद्रों से अवैध रूप से निकाली गई थी।

पुलिस कार्यवाही:-

मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के पति सत्यप्रकाश द्वारा दिनांक 03.01.2026 को साइबर सेल थाना दुधारा में शिकायत दर्ज कराई गई। थाना दुधारा पर तैनात साइबर विशेषज्ञ आरक्षी ऋषिकेश यादव एवं आरक्षी हेमन्त कुशवाहा द्वारा त्वरित तकनीकी कार्यवाही (Technical Analysis) करते हुए संबंधित पेमेंट गेटवे और बैंकों से पत्राचार किया गया।

बरामदगी:

पुलिस टीम के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप, धोखाधड़ी की गई कुल राशि में से ₹ 19,500.00 को सफलतापूर्वक पीड़िता के खाते में वापस (रिफंड) करा दिया गया है। शेष धनराशि की बरामदगी हेतु जांच एवं विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस टीम:

प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री अरविन्द शर्मा, आरक्षी ऋषिकेश यादव, आरक्षी हेमन्त कुशवाहा

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आम जनमानस से अपील करती है कि:-

- किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर किसी अज्ञात खाते में पैसा ट्रांसफर न करें।
- बैंक अधिकारी बनकर आने वाले संदिग्ध कॉल / मैसेज पर विश्वास न करें।
- किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।
- साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें या नजदीकी थाने के साइबर सेल को सूचित करें।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- जनपद के समस्त थानों द्वारा 50 स्थानों पर 1447 व्यक्तियों को किया गया चेक।
- 49 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया।
- 15 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही।
- 596 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरूक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारे में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 10 स्थानों पर 300 व्यक्तियों को चेक किया गया, 210 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 06 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 16 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 204 व्यक्तियों को चेक किया गया, 10 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 05 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 05 स्थानों पर 130 व्यक्तियों को चेक किया गया, 70 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 00 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 10 स्थानों पर 170 व्यक्तियों को चेक किया गया, 04 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 86 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 10 स्थानों पर 150 व्यक्तियों को चेक किया गया, 00 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 11 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06. थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 145 व्यक्तियों को चेक किया गया, तथा 35 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 00 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 150 व्यक्तियों को चेक किया गया, 40 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 05 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 140 व्यक्तियों को चेक करते हुए 95 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, तथा 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 58 व्यक्तियों को चेक किया गया, 50 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को थाना महुली पुलिस के साइबर सेल द्वारा शत प्रतिशत की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अभय नाथ मिश्र के उपस्थिति में साइबर सेल थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित का शत प्रतिशत कुल 48 हजार रुपये की धनराशि वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 24.01.2026 को पीड़ित निखिल कुमार पुत्र स्व० जयप्रकाश निवासी वार्ड नं० 9 गांधीनगर हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा अपने क्रेडिट कार्ड से कम ब्याज दर पर लोन लेने हेतु लागिन करने के लिये इंटरनेट पर सर्च किया गया था, जिसके उपरान्त पीड़ित के पास एक अनजान नम्बर से फोन आया और उसके द्वारा बताया गया कि वह S Paid App के कस्टमर केयर से बोल रहा है तथा ऐप लागिन कराने के नाम पर एक फर्जी लिंक भेजा, पीड़ित द्वारा प्राप्त फर्जी लिंक पर अपने कार्ड से सम्बन्धित डेटा व ओटीपी शेयर कर दिया गया, जिससे 48000 रु० पीड़ित के खाते से कट गया। जिस पर साइबर सेल थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित का फ्राड हुआ धनराशि का शत प्रतिशत कुल 48000 रु० पीड़ित के खाते में वापस कराया गया। इस पर पीड़ित द्वारा साइबर सेल थाना महुली की भूरी भूरी प्रशंसा की गयी।

रिकवर कराने वाले अधि०/कर्मचारीगण- थानाध्यक्ष श्री रजनीश राय, उ०नि० श्री अनुज कुमार यादव, का० अंकित पटेल, का० सोनू यादव, म०का० कमलेश कुमारी।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आम जनमानस से अपील करती है कि:-

- किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर किसी अज्ञात खाते में पैसा ट्रांसफर न करें।
- बैंक अधिकारी बनकर आने वाले संदिग्ध कॉल / मैसेज पर विश्वास न करें।
- किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।
- साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें या नजदीकी थाने के साइबर सेल को सूचित करें।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 159 वाहनों से 1,83,500 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 26.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 159 वाहनों से 1,83,500 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 48 स्थानों पर 2318 वाहनों को किया गया चेक।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 60 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 02 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म व हूटर।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 04 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 चार पहिया वाहनों पर शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर की गयी कार्यवाही।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 632 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 26.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।